भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या 267

दिनांक 13.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय मछुआरे

***267. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेलः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के कई मछुआरे पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उन्हें रिहा कराने के लिए कोई प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसे मछुआरों को रिहा कराने के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश मंत्री

(डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर)

(क) से (घ): वक्तव्य सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय मछुआरे' के संबंध में दिनांक 13.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *267 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित वक्तव्य।

(क) से (घ) 21 मई 2008 को हस्ताक्षरित 'भारत-पाकिस्तान कोंसली सहायता करार' के अनुसार, दोनों देशों की जेलों में बंद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान प्रति वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है। 1 जुलाई 2024 को जिन सूचियों का आदान-प्रदान किया गया, उनके अनुसार पाकिस्तान ने पुष्टि की है कि 211 भारतीय/भारतीय माने जाने वाले मछुआरों उनकी हिरासत में हैं, जिसमें दमन और दीव के 24 मछुआरे शामिल हैं तथा दादरा और नगर हवेली का कोई भी मछुआरा नहीं है।

दमन और दीव के 24 मछुआरों को कोंसली सहायता प्रदान की गई है और उनकी भारतीय राष्ट्रीयता की पुष्टि भी कर दी गई है तथा पाकिस्तान सरकार को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है। पाकिस्तान को दमन और दीव के उन सभी भारतीय मछुआरों की रिहाई और स्वदेश वापसी में तेजी लाने के लिए कहा गया है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और जिनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो गई है। पाकिस्तान से यह अनुरोध भी किया गया है कि वह पाकिस्तान की हिरासत में कैद ऐसे सभी मछुआरों को तत्काल कोंसली सहायता प्रदान करे, जिनके बारे में माना जाता है कि वे भारतीय हैं।

सरकार भारतीय मछुआरों के कल्याण, सुरक्षा तथा उनकी शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। जैसे ही पाकिस्तान द्वारा भारतीय मछुआरों और मछली पकड़ने वाली उनकी नौकाओं को पकड़े जाने के मामले सामने आते हैं, इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा पाकिस्तान सरकार से कोंसली सहायता प्राप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं। कोंसली सहायता के दौरान, भारतीय उच्चायोग के अधिकारी पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीयों/भारतीय माने जाने वाले मछुआरों से उनकी कुशलता का पता लगाने के लिए मिलने जाते हैं और उन्हें दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रदान करते हैं। भारतीय मछुआरों को उनकी नौकाओं सहित शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए कानूनी सहायता के साथ सभी संभव सहायता प्रदान की जाती है। इस मुद्दे को लगातार पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया जाता है और यह अनुरोध किया जाता है कि इस मुद्दे पर पूर्णतः मानवीय और आजीविका आधार पर विचार किया जाए।

सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, 2014 से अब तक 2639 भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान से वापस लाया गया है।

*****